माननीय न्यायमूर्ति ***एस. पी. बनगढ़***,,के समक्ष,

रोहताश पुत्र फूल दाससंद अन्य—***अपीलकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य - ***प्रतिवादी***

2008 का सीआरए नंबर 2088-एसबी

20 दिसंबर। 2012

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18 72 - धारा 134 - भारतीय दंड संहिता, I860 - धारा 376 (2) (जी) - दोषसिद्धि के खिलाफ अपील - अभियोक्ता को अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा चाय बनाने के लिए उनके घर बुलाया गया था- पत्नी के जाने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था - डर के कारण, उसने सिर्फ खुलासा किया कि अपीलकर्ताओं ने मौत हो गई थी (शील को अपमानित करते हुए) - मामले में समझौता किया गया था - एक महीने बाद दर्ज की गई थी एफआईआर - मेडिको - कानूनी परीक्षा आयोजित की गई - उसके निजी अंगों पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई - आयोजित, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा I34 के अनुसार, बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि केवल अभियोक्ता के बयान पर आधारित हो सकती है - समय बीत जाने के बाद भी सच्ची घटना की गवाही में कुछ छोटी-मोटी विसंगतियां होना तय है- प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती क्योंकि अपीलकर्ताओं ने अभियोक्ता को धमकी दी थी - सजा को कम करने का कोई विशेष कारण मौजूद नहीं है - अपील खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के साक्ष्य लगभग एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर हैं और एक हद तक और भी अधिक विश्वसनीय हैं-जैसे कि एक गवाह जिसने घटना में कुछ चोट का सामना किया है, जिसे स्वयं प्रवृत्त नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में अच्छा गवाह माना जाता है कि वह वास्तविक अपराधी को बचाने की कम से कम संभावना है, यौन

(पैरा 50)

अपराध के शिकार के साक्ष्य महान वजन के हकदार हैं। यह भी माना गया कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है। यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व का विनाशकारी होता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है। एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है। अदालत को ऐसे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए।

(पैरा 50)

आगे कहा गया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एफआईआर दर्ज करने में 42 दिनों की देरी मामले के लिए घातक नहीं थी। उस मामले में, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर भी, अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और यह कहते हुए सजा सुनाई गई कि कोई भी स्वाभिमानी महिला उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर अपने सम्मान को दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए, आमतौर पर उसकी गवाही की पुष्टि के लिए एक नज़र अनावश्यक और अवांछित है।

(पैरा 53)

1 इसलिए, यह इस प्रकार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी यह साबित करने में सक्षम था कि अपीलकर्ताओं ने 13.08.2006 को गांव बापोली के क्षेत्र में स्थित अपीलकर्ता नंबर 1 के घर में अभियोक्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के संस्करण को सही ढंग से स्वीकार किया और अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसे इसके द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए।

(पैरा 55)

आगे कहा गया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए, धारा 376 2 (जी) आईपीसी के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा को कम करने के लिए कोई पर्याप्त या विशेष कारण मौजूद नहीं है।

(पैरा 56)

जगजीत बेनीवाल, अपीलकर्ता नं.

केडीएस हुड्डा, अपीलकर्ता नंबर 2 के वकील।

जी एस। संधू, सहायक प्रतिवादी के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा।

एस.पी. बानगढ़, जे.

(एक) अपीलकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन, बापोली की भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में टीपीसी' की धारा 376 के तहत, 2008 के सत्र केस नंबर 12 में 2008 के सत्र केस नंबर 12 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित 29.08.2008 के फैसले और सजा के आदेश का विरोध किया है, जो 14.09.2006 को एफआईआर नंबर 77 से उत्पन्न है, जिसके तहत उन्हें आईपीसी की धारा 376 [2 (जी)] के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और एक के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक को दस वर्ष की अवधि और प्रत्येक को 10,000/- रु का जुर्माना और उसके उल्लंघन की स्थिति

में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(दो) अभियोजन का मामला यह है कि 13.08.2006 को सुबह 10:00 बजे, अभियोक्ता (नाम छुपाया गया) विलागक शिमला गुजरान के क्षेत्र में अपने आउट हाउस (स्थानीय बोलचाल में घेर) में मौजूद थी। रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 के नरेश विले ने उसे अपने घर बुलाया और उसे अपने चाचा के लिए चाय तैयार करने और उसे देने के लिए कहा। नरेश चारा लाने के लिए खेतों में गया। जब अभियोक्ता चाय देने के लिए कमरे में गई, तो उसने नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 को रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 के साथ पाया। कमरे में प्रवेश करने पर, रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 ने अंदर से कमरे को बंद कर दिया। दोनों ने उसे बेड पर लिटा दिया। पहले रोहताश और फिर नाजिम ने उसके साथ रेप किया। वह रोने लगी। इसके बाद, उसे अपीलकर्ताओं द्वारा धमकी दी गई कि अगर उसने इस घटना को सार्वजनिक किया, तो उसका भाई ओमपाल, जो समालखा में पढ़ रहा था, जीवित नहीं लौटेगा।

(तीन) जब वह रोते हुए अपने घर वापस जा रही थी, तो 2/3 व्यक्ति उसके पास से गुजरे। उसने घटना की जानकारी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी। उसने उन लोगों से कहा, जो उसे गली में मिले थे, कि अपीलकर्ताओं ने चेडचाड (उसकी विनम्रता को भड़का दिया) किया था। उन लोगों ने इस बारे में उसके भाई सोम पाल को बताया था। नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 भाग गया। रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 को उसके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था। बाद में मामले में समझौता कर लिया गया। लेकिन जब अपीलकर्ता ने उसे बदनाम करना शुरू किया, तो उसने अपने माता-पिता को 12.09.2006 को घटना के बारे में बताया। उसके भाई सोमपाल ने उसे 14-09-2006 को जनरल अस्पताल, पानीपत में भर्ती करवा दिया। अस्पताल से, रुका पूर्व . अभियोक्ता पर बलात्कार के कमीशन के संबंध में पीई भेजा गया था।

(चार) इसके बाद, एएसआई कृष्ण कुमार जनरल अस्पताल, पानीपत गए, जहां, उन्होंने चिकित्सा अधिकारी के समक्ष Ex.PE एक आवेदन प्रस्तुत किया, ताकि यह पता चल सके कि अभियोक्ता अपना बयान देने के लिए कितनी फिट है। आवेदन Ex.PE पर Ex.PE/1 के माध्यम से डॉक्टर ने अभियोक्ता को बयान देने के लिए उपयुक्त घोषित किया। इसके बाद, एएसआई कृष्ण कुमार ने अभियोक्ता के बयान Ex.PA दर्ज किए, जिसमें उसने पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित आरोपों का वर्णन किया। उसने Ex.PA की वास्तविकता और शुद्धता को स्वीकार करने के बाद बयान पर हस्ताक्षर किए। एएसआई कृष्ण कुमार ने भी Ex.PA/2 नोट किया। जिस पर संजय ने हस्ताक्षर किए थे। (ख) श्री कृष्ण कुमार, एएसआई ने भी पूर्व निरीक्षक/पीए पर अपना पृष्ठांकन Ex.PA/3 किया और इसे प्रवीण सिंह कांस्टेबल के माध्यम से पुलिस स्टेशन भेज दिया और यह औपचारिक

एफआईआर एक्सपीडी का आधार बना। जिसे जय भगवान एएसआई ने रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने Ex.PA को 1 Ex.PA/ एंडोर्समेंट किया था।

(पाँच) अभियोक्ता ने एएसआई कृष्ण कुमार को अपनी मेडिकोलीगल रिपोर्ट भी सौंपी। दिनांक 15-09-2006 को कृष्ण कुमार, एएसआई धर्मबीर सिंह एसआई/एसएचओ के साथ जनरल अस्पताल, पानीपत गए, जहां डा रितु गर्ग ने अंडरवियर का एक पार्सल, स्लाइड और स्वैब का एक पार्सल, आरएम की सील वाला एक लिफाफा सौंपा और उन्हें रिकवरी मेमो Ex.PG के तहत जब्त कर लिया गया।

(छः) 27.09.2006 को, रोहताश अपीलकर्ता नं. मुझे धर्मबीर सिंह, एसआई ने गिरफ्तार किया था। दिनांक 28-09-2006 को चिकित्सा अधिकारी के समक्ष इस संबंध में आवेदन भेजकर उसकी चिकित्सा जांच की गई.PL दिनांक 29.09.2006 को अभियोक्ता को न्यायालय में पेश किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज करवाया गया। 03.10.2006 को नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में धर्मबीर सिंह, एसआई द्वारा Ex.PM आवेदन देकर चिकित्सा अधिकारी से उसकी चिकित्सा जांच भी कराई गई। उन्होंने जगबीर सिंह कांस्टेबल से 06.10.2006 को सीलबंद साइट प्लान भी तैयार करवाया।

(सात) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला Ex.PQ की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन बापोली के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने विद्वान इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर की कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं ने धारा 376 2 (जी) I पीसी के तहत दंडनीय अपराध किया था।

(आठ) पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, धारा 207 सीआरपीसी के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपीलकर्ताओं को प्रस्तुत की गईं और मामला ट्रायल के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत को सौंपा गया, जिन्होंने सत्र प्राप्त होने पर, दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 376 (2) (जी) आईपीसी के तहत आरोप तय किए, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और मुकदमे का दावा किया। नतीजतन, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तलब किए गए।

(नौ) मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 के रूप में अभियोक्ता, जगबीर सिंह, कांस्टेबल पीडब्ल्यू 2, रविंदक्र कुमार, एचसी को पीडब्ल्यू 3, जय भगवान, एएसआई को पीडब्ल्यू 4, सतीश कुमार, कांस्टेबल नंबर 816 को पीडब्ल्यू 5, सतीश कुमार,

कांस्टेबल नंबर 940 को पीडब्ल्यू 6, कृष्ण कुमार, एएसआई को पीडब्ल्यू 7, सुंदर सिंह,

PW8 के रूप में प्रधानाचार्य, धर्मबीर सिंह, SI PW9 के रूप में, डॉ. दलीप सिंह, मेडिकल Ofllccr PW10 के रूप में, सोमपाल PW11 के रूप में, डॉ. रितु गुप्ता PW12 के रूप में और सुश्री रजनी यादव, . (ख) मैसर्स जेएमआईसी, पानीपत को पीडब्लू 13 के रूप में गिरफ्तार किया गया है और बाद में हॉर्कसिक विज्ञान प्रयोगशाला एक्सपीक्यू की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्य को बंद कर दिया गया है।

(दस) अभियोजन साक्ष्य के बंद होने के बाद, अपीलकर्ताओं से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया, मामले में बेगुनाही और झूठे आरोप लगाए। उन्हें बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने राज पाल आर्य, एसए के रूप में डीडब्ल्यू 1, राजेश कुमार, कांस्टेबल डीडब्ल्यू 2, प्रीतपाल सिंह, एमएल आईसी के रूप में डीडब्ल्यू 3, हरि सिंह ने डीडब्ल्यू 4 के रूप में, रोशन लाल, रीडर डीडब्ल्यू 5 के रूप में, हरि किशन, रिकॉर्ड कीपर डीडब्ल्यू 6 के रूप में, एमएचसी बृजपाल सिंह को डीडब्ल्यू 7 के रूप में और इंद्र सिंह को डीडब्ल्यू 8 के रूप में जांच की और बचाव साक्ष्य को बंद कर दिया। बाद में।

(ग्यारह) दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले के पहले पैराग्राफ में वर्णित निर्णय और सजा के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं, जिन पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप लगाए गए थे, ने इस अपील को स्वीकार करने और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करने की प्रार्थना के साथ दायर किया है।

(बारह) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और प्रतिवादी के लिए विद्वान सहायक महाधिवक्ता को सुना गया है और उनकी सहायता से विद्वान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है।

(तेरह) सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्या बयान दिया है: -

(चौदह) पीडब्लू 1 ने गवाही दी कि दोनों अपीलकर्ता उसके गांव के होने के बारे में जानते हैं और 13.08.2006 को, लगभग 10:00 बजे, रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 नरेश की पत्नी ने उसे अपने घर बुलाया, जब वह अपने घर में थी और उसने उसे चाय तैयार करने के लिए कहा और उसने उसे रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए चाय लेने के लिए भी कहा, जो कमरे में मौजूद था। उसने आगे गवाही दी कि वह उस कमरे में चाय ले गई

जहां रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 और नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 उस कमरे में मौजूद थे और जब वह कमरे में गई, तो रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और उन्होंने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और सबसे पहले रोहताश और बाद में नाजिम अपीलकर्ता नंबर 1 और 2 ने उसके साथ बलात्कार किया और उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया।

उसने आगे कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं ने धमकी दी कि अगर उसने इस घटना को सार्वजनिक किया, तो उसके भाई ओमपाल, जो समालखा में पढ़ रहे थे, को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

(पंद्रह)उसने आगे कहा कि दोनों अपीलकर्ता उसके साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गए, जहाँ से वह अपने घर गई; अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई धमकी के कारण, उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने आगे गवाही दी कि 13.09.2006 को, उसने अपने माता-पिता और भाई ओमपाल को बलात्कार की घटना सुनाई, जो उसे पानीपत में अदालत में ले आए और 14.09.2006 को, उसका भाई सोमपाल उसे पानीपत के सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां उसकी चिकित्सा जांच की गई। उसने आगे कहा कि पुलिस अस्पताल में उसके पास आई और उसने Ex.PA अपना बयान दर्ज कराया। उसने आगे गवाही दी कि डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसके अंडरवियर को कब्जे में ले लिया। उसने आगे गवाही दी कि 29.09.2006 को, उसे अदालत में ले जाया गया जहां न्यायाधीश द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया।

(सोलह) पीडब्लू 2 ने गवाही दी कि 6.10.2006 को, उन्होंने अभियोक्ता के सीमांकन पर एक स्केल साइट प्लान एक्स.पीसी तैयार किया।

(सत्रह) पीडब्लू 3 रविंदर कुमार, एचसी ने गवाही दी कि 15.09.2006 को, धर्मबीर सिंह, एसआई/एसएचओ ने उनके पास स्लाइड और स्वैब का एक पार्सल, अंडरवियर का एक पार्सल, एक लिफाफा जमा किया और 09.10.2006 को, उन्होंने मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करने के लिए कांस्टेबल सतीश कुमार, कांस्टेबल को उपरोक्त लेख सौंप दिए। उन्होंने आगे गवाही दी कि उसी दिन, सतीश कुमार, कांस्टेबल ने मधुबन में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ केस प्रॉपर्टी जमा करने के बाद उन्हें रसीद सौंप दी।

(अठ्ठारह) पीडब्लू 4 जय भगवान, एएसआई ने गवाही दी कि 14.09.2006 को उन्हें रूका Ex.PA प्राप्त हुआ और उसके आधार पर, उन्होंने औपचारिक एफआईआर एक्सपीडी दर्ज की। उन्होंने यह भी गवाही दी कि उन्होंने उस पर Ex.PA/1 पृष्ठांकन किया और कांस्टेबल सतीश कुमार के माध्यम से एफआईआर की प्रति भेजी।

(उन्नीस) पीडब्लू 5 सतीश कुमार, कांस्टेबल नं। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14-09-2006 को गवाही दी थी। एएसआई जय भगवान ने उन्हें इस मामले की विशेष रिपोर्ट सौंपी, जिसे उन्होंने अपनी तरफ से बिना किसी देरी के इलाक़ा मजिस्ट्रेट,

एसपी और डीएसपी को सौंप दिया।

(बीस) पीडब्लू 6 सतीश कुमार, कांस्टेबल नंबर 940 ने गवाही दी कि रविंद्र कुमार पर, एमएचसी ने उन्हें मामले की आसान संपत्ति सौंप दी और उसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मधुबन में जमा कर दिया और उन्होंने रसीद रवींद्र कुमार, एमएचसी को सौंप दी। उन्होंने यह भी गवाही दी कि, जब तक, केस प्रॉपर्टी उनके पास रही, किसी ने भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की।

(इक्कीस) पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार, एएसआई ने गवाही दी कि 14.09.2006 को, उन्हें पुलिस चौकी, बस स्टैंड, पानीपत से जनरल अस्पताल, पानीपत में बलात्कार के मामले में अभियोक्ता के भर्ती होने के बारे में एक संदेश प्राप्त हुआ और उसके बाद, वह पुलिस अधिकारियों के साथ जनरल अस्पताल, पानीपत पहुंचे और चिकित्सा अधिकारी के समक्ष एक आवेदन एलएक्स पीएफ भेजा, जिस पर, बाद में इस आशय का समर्थन Ex.PF/1 किया कि रोगी बयान देने के लिए फिट था और, इसके बाद, उन्होंने संजय कुमार की उपस्थिति में अभियोक्ता पूर्व पीए का बयान दर्ज किया उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने Ex.PA/3 समर्थन किया और रविंदर कुमार, कांस्टेबल के माध्यम से पुलिस स्टेशन को Ex.PA बयान भेजा। उन्होंने यह भी गवाही दी कि अभियोक्ता ने उन्हें अपनी मेडिकोलीगल रिपोर्ट सौंप दी। उन्होंने आगे गवाही दी कि 15.09.2006 को, वह धर्मबीर एसआई/एसएचओ के साथ जनरल अस्पताल, पानीपत गए, जहां डॉ रितु गुप्ता ने अंडरवियर का एक पार्सल, स्लाइड और स्वैब का एक पार्सल, आरएम की सील वाला एक लिफाफा धर्मबीर सिंह, एसएचओ को सौंप दिया, जिसे रिकवरी मेमो Ex.PG के तहत जब्त कर लिया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि 11.10.2006 को, संजय कुमार ने अभियोक्ता के स्कूल प्रमाण पत्र एक्स.पीजे को पेश किया, जिसे धर्मबीर सिंह एसआई/एसएचओ द्वारा उनकी उपस्थिति में मेमो Ex.PH द्वारा जब्त कर लिया गया था।

(बाईस) पीडब्लू 8 ने अभियोक्ता के रिकॉर्ड के अनुसार उसके द्वारा जारी दिनांक 15.08.2006 को पूर्व पीजे प्रमाण पत्र लाया।

(तेईस) पीडब्लू 9 ने जांच का हिस्सा किया और उसके द्वारा की गई जांच की तर्ज पर गवाही दी, जिसे इस फैसले के पहले के हिस्सों में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

(चौबीस)पीडब्लू 10 ने रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 पर मेडिकोलीगल परीक्षा आयोजित की और कहा कि यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह संभोग करने में असमर्थ था। उन्होंने पुलिस के अनुरोध को Ex.PL साबित किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को Ex.PL/1 भी साबित किया। उन्होंने यह भी गवाही दी कि 03.10.2006 को,

मेडिकोलीगल ने नज़ाज़िम अपीलकर्ता नंबर 2 और पर जांच की

शारीरिक परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह पता चले कि वह यौन संबंध बनाने में असमर्थ था। उन्होंने आगे गवाही दी कि पुलिस के अनुरोध पर, Ex.PM, उन्होंने Ex.PM/1 रिपोर्ट की।

(पच्चीस) पीडब्लू 11 ने गवाही दी कि 12.09.2006 को, उसकी बहन (अभियोक्ता) ने उसे और उसकी मां वंती देवी को बताया कि 13.08.2006 को, वह अपने आउट हाउस में मौजूद थी, जहां रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 की नरेश पत्नी आई और उसे यह कहते हुए अपने घर ले गई कि उसे अपने चाचा रोहताश के लिए चाय तैयार करनी है और उसके बाद, वह नरेश के घर गई और उसके लिए चाय तैयार की और बाद में चाय परोसने के लिए कमरे के अंदर चली गई और नरेश खुद खेतों की ओर निकल गया। उसने आगे बताया कि नाजिम अपीलकर्ता भी कमरे में मौजूद था और जब उसने कमरे में प्रवेश किया। अपीलकर्ता नंबर 2 नाजिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया और नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और सबसे पहले रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 और फिर नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने आगे कहा कि जब वह रोने लगी, तो उसे धमकी दी गई कि उसे और उसके भाई को मार डाला जाएगा और वह रोहताश के घर से रोती हुई बाहर आ रही थी; 2/3 व्यक्ति रास्ते में उससे मिले और उससे रोने का कारण पूछा और उसने जवाब दिया कि दोनों अपीलकर्ताओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि 13-09-2006 को वे न्यायालय गए, लेकिन वहां सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पानीपत नहीं मिले और उसके बाद, वे 14.09.2006 को उनसे मिले और बाद में उनकी बहन की चिकित्सा जांच का आदेश दिया और जनरल अस्पताल, पानीपत में उसकी चिकित्सा जांच की गई। उन्होंने आगे कहा कि वह और उनके भाई संजय अस्पताल में मौजूद थे और पुलिस वहां आई थी, जहां उनका बयान, साथ ही अभियोक्ता का भी दर्ज किया गया था।

(छब्बीस) पीडब्लू 12 ने गवाही दी कि उसने चिकित्सकीय रूप से अभियोक्ता की जांच की और उसने Ex.PN मेडिकोलीगल रिपोर्ट की प्रति साबित की। उसने बयान दिया कि उसे रोगी के शरीर पर कहीं भी चोट का कोई बाहरी निशान नहीं मिला, साथ ही, उसके निजी अंगों जैसे लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, जांघों के अंदरूनी हिस्से और स्तन पर भी। उसने आगे गवाही दी कि उसने पुलिस को नमूना मुहर, एमएलआर की प्रति, एक पैकेट जिसमें दो स्वैब, अंडरवियर और एक लिफाफा था जिसमें दो स्वैब, अंडरवियर और एक लिफाफा था जिस पर पत्र नमूना सील थी। पीडब्लू 12 ने आगे गवाही दी कि उसने अपनी उम्र के निर्धारण के लिए रोगी को रेडियोलॉजिकल जांच

के लिए भेजा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राय में, रोगी के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(17) पीडब्लू 13 ने गवाही दी कि 29.09.2006 को धर्मबीर सिंह एसआई/एसएचओ पुलिस स्टेशन, बपोली ने अभियोक्ता को उसके समक्ष पेश किया और उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान एक्सपीबी दर्ज किया। उसने आगे गवाही दी कि उसने बयान दर्ज करने से पहले zimni आदेश Ex.PB/1 पारित किया और अभियोक्ता के बयान Ex.PB को रिकॉर्ड करने के बाद एक अन्य zimni आदेश Ex.PB/2 पारित किया।

(अठ्ठाईस) डीडब्ल्यू 1 ने गवाही दी कि क्रम संख्या 10 के रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोक्ता की जन्म तिथि 21.05.1989 के रूप में दिखाई गई है और एक्स.डीआई उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया सही प्रमाण पत्र है।

(उन्तीस) डीडब्ल्यू 2 ने गवाही दी कि एक्स.डीएल डीडीआर नंबर 11 दिनांक 15.06.2008 की फोटोकॉपी है और एक्स.DB रजिस्टर की फोटोकॉपी है।

(तीस) डीडब्ल्यू 3 ने 15.07.2006 से 20.08.2006 तक डीडीआर रजिस्टर की प्रविष्टियों को मार्क बी और शिकायत मार्क ए की फोटोकॉपी साबित की। उन्होंने आगे कहा कि मूल पुलिस स्टेशन बपोली के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(इक्तीस) डीडब्ल्यू 4 हरि सिंह ने गवाही दी कि उन्होंने पार्टियों के बीच समझौता किया, क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और उन्होंने समझौते को लिखित रूप में कम कर दिया, जिसकी फोटोकॉपी मार्क बी है। उन्होंने यह भी गवाही दी कि उन्होंने डीडीआर नंबर 11 दिनांक 10.08.2006 पर अपने हस्ताक्षर संलग्न किए थे. उन्होंने यह भी गवाही दी कि लड़की पक्ष ने लड़की के साथ चेर चार के बारे में चार लड़कों के खिलाफ आरोप लगाए और दूसरे पक्ष का आरोप था कि सड़क का स्तर बढ़ाने के संबंध में विवाद था और दोनों पक्षों ने स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष अपने-अपने आवेदन पेश किए. उन्होंने आगे कहा कि समझौते में, दोनों पक्ष अपने संबंधित आवेदनों को वापस लेने के लिए सहमत हुए और भविष्य में कोई विवाद नहीं उठाएंगे। उन्होंने आगे गवाही दी कि लिखित समझौता पुलिस स्टेशन बापोली के स्टेशन हाउस ऑफिसर को सौंप दिया गया था।

(बत्तीस) डीडब्ल्यू 5 ने गवाही दी कि रिपोर्ट के अनुसार, ईआईआर नंबर 84 दिनांक 28.09.2006 को धारा 325, 342/34 आई पीसी और 506 आई पीसी के तहत पुलिस स्टेशन बापोली में 04:30 बजे (रविवार) को घटना के संबंध में दर्ज किया गया था। उन्होंने

आगे कहा कि यह प्राथमिकी रोहताश (अपीलकर्ता नंबर 1, यहां) द्वारा संजय, ओमपाल और सोमपाल के खिलाफ सुबे सिंह के बेटे सुबे सिंह और सुमेर सिंह के बेटे सुबे सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

(तैंतीस) डीडब्ल्यू 6 ने 2006 की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 159 की समन की गई फाइल को 19.09.2006 को तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत श्री एस.सी.गोयल द्वारा सोमपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक के मामले में लाया। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने जमानत याचिका में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर उत्तर की प्रमाणित प्रति देखी थी और प्रमाणित प्रति पूर्व डीसी फाइल में मूल के अनुसार सच्ची प्रति है।

(चौंतीस) डीडब्ल्यू 7 ने गवाही दी कि क्रम संख्या 12 7-डी दिनांक 14.08.2006 पर तलब किए गए रजिस्टर के अनुसार, संजय द्वारा रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1, नाजिम अपीलकर्ता नंबर 2 और बाशम के खिलाफ लड़की की विनम्रता को अपमानित करने के बारे में शिकायत की गई थी और शिकायत मार्क डीडी की इस प्रति के खिलाफ, सहायक उप निरीक्षक जय भगवान के नाम का उल्लेख किया गया है और पुलिस स्टेशन में प्राप्त शिकायत का मूल जांच अधिकारी जय भगवान को सौंप दिया गया था प्रविष्टि संख्या 127-डी के खिलाफ।

(पैंतीस) डीडब्ल्यू 8 इंदर सिंह ने गवाही दी कि उन्होंने पंचायती समझौते की फोटोकॉपी देखी थी; उन्होंने समन रिकॉर्ड में मूल भी देखा था। उन्होंने आगे कहा कि समझौते की फोटोकॉपी एक्स.डी.डी.

(छतीस)प्रतिवादी के विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्ता (PW1) और उसके भाई सोम पाल (PW 11) के बयान, जिन्हें उसने पूरी घटना सुनाई, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शुरुआत में, अभियोक्ता ने पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने में शर्म महसूस की और यहां तक कि मामले से समझौता करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अंततः अभियोक्ता ने अपीलकर्ताओं को बेनकाब करने का साहस किया। उन्होंने तर्क दिया कि रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी ने रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए चाय तैयार करने के लिए अभियोक्ता को अपने घर बुलाया, जिसे अभियोजन पक्ष चाचा कहता था और वह खुद चारा इकट्ठा करने के लिए खेतों में जाती थी और उसकी अनुपस्थिति में, दोनों अपीलकर्ताओं ने अभियोक्ता पर बलात्कार किया और बाद में उन्हें झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस कथन को संदिग्ध माना जा सकता है, अगर अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी घर में मौजूद थी, लेकिन वह अपने घर में मौजूद नहीं थी, जब घटना हुई।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 और अभियोक्ता के भाइयों और पिता के बीच जो लड़ाई हुई थी, वह विचाराधीन घटना की अगली कड़ी थी और यह घटना साबित हो गई है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के भाइयों और पिता को दोषी ठहराया गया है और उस घटना के लिए सजा सुनाई गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश बरकरार रखने और पुष्टि करने योग्य है।

(सैंतीस) दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चीजों को अनुपात से बाहर कर दिया गया है और केवल दुर्व्यवहार (चेर चार) के मामले को अपीलकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा बलात्कार के मामले में बदल दिया गया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में एक महीने की देरी हुई है और एक महीने का इस्तेमाल शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ झूठा मामला बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता नंबर 1 रोहताश और अभियोजन पक्ष के परिवार के सदस्यों के बीच सड़क को समतल करने का विवाद था। हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि धारा 3 25,342/34 और 506 1 पीसी नंबर 84 दिनांक 28.09.2006 के तहत अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा सुबे सिंह और सुबे सिंह के दोनों बेटों संजय, सोमपाल और ओमपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है और इस मामले के पंजीकरण के कारण, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान झूठा मामला दर्ज किया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि दोनों पक्षों ने 15.08.2006 को एक समझौता Lx.DO किया था और समझौता करते हुए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।

(अड़तीस) दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों पर विचारशील विचार किया गया है और अभियोजन पक्ष के मामले को योग्यता के बिना नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है, अभियोजन पक्ष (पीडब्लू 1) ने स्पष्ट शब्दों में गवाही दी कि उसे अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी ने अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए चाय तैयार करने के लिए अपने घर बुलाया था, जो उसके चाचा थे। जब वह अपीलार्थी नं. मैं, नरेश की पत्नी, चारा लाने के लिए खेतों की ओर रवाना हुई। जब अभियोक्ता ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां अपीलकर्ता नं. मैं उसे चाय देने के लिए मौजूद था, निजाम अपीलकर्ता नंबर 2 को भी उसने कमरे के अंदर बैठे देखा। इसके बाद, अपीलकर्ता नंबर 1 ने अभियोक्ता को पकड़ लिया, निजाम अपीलकर्ता नंबर 2 ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बाद में दोनों ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

(उन्तालीस) इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि जब पीड़िता घटना के बाद अपने घर जा रही थी, तो कुछ राहगीर उससे मिले और उसने उन्हें बताया कि अपीलकर्ताओं ने उसके साथ गलत व्यवहार किया (चेर चार)। वह शर्मीली और विनम्र थी और साफ-साफ बोलकर लोगों से बलात्कार की घटना के बारे में बात नहीं कर सकती थी। उसने चीजों को अपने करीब रखा, क्योंकि उसका अपना सम्मान और प्रतिष्ठा खतरे में थी। उसने एक महीने की अवधि के लिए बलात्कार की घटना के बारे में चुप्पी साधे रखी, बस इतना कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और उसने बलात्कार की घटना को चार के रूप में स्वीकार किया।

(चालीस) केवल वह यह बताने के लिए सबसे अच्छी व्यक्ति थी कि क्या उसके साथ साधारण दुर्व्यवहार हुआ था या उसके साथ बलात्कार किया गया था। यह घटना, जिसे शुरू में अपीलकर्ताओं द्वारा चेर चार (दुर्व्यवहार) के रूप में वर्णित किया गया था, के परिणामस्वरूप रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 पर हमला किया गया, जिसे अभियोक्ता के भाइयों और पिता ने पीटा था। अगर यह घटना नहीं हुई होती, तो एक तरफ अपीलकर्ता नंबर 1 और दूसरी तरफ अभियोक्ता के भाइयों और पिता के बीच लड़ाई नहीं होती। यहां तक कि यह आसानी, ईआईआर संख्या 84 दिनांक 28.09.2006, धारा 325, 342/34 और 506 1 पीसी के तहत, जिसे अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा अभियोक्ता के भाइयों और पिता के खिलाफ पंजीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले को दोषी ठहराया गया।

(इक्तालीस) यहां तक कि, मामले से समझौता करने का प्रयास किया गया और अभियोजन पक्ष ने समझाया कि समझौते के बाद भी, अपीलकर्ता सही व्यवहार नहीं कर रहे थे और इसलिए, उसने अपने परिवार के सदस्यों को बलात्कार की घटना का खुलासा किया और आसानी दर्ज की गई।

(बयालीस) पीडब्लू 1 खुद मौके पर मौजूद थी और केवल वह अकेले ही बता सकती थी कि अपीलकर्ता नंबर 1 नरेश के घर के कमरे के अंदर उसके साथ क्या हुआ था, अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी नरेश घटना के समय मौजूद नहीं थी। वह खेतों से चारा लाने गई थी। अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए चाय तैयार करने के लिए उसे अभियोक्ता से मदद लेनी पड़ी, जिसे अभियोक्ता द्वारा चाचा के रूप में माना जा रहा था। अगर नरेश उस समय अपने घर पर मौजूद होता तो घटना नहीं होती। मैंने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी घर में मौजूद थी और बलात्कार की घटना उसकी उपस्थिति में हुई थी, तो इसे अविश्वसनीय ठहराया जा सकता था।

(तैतालीस) सड़क पर अपीलकर्ता नंबर 1 के साथ अभियोक्ता के परिवार के सदस्यों के बीच दुश्मनी के बारे में कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है। यह विश्वास करना कठिन है कि सड़क के कथित विवाद को अभियोक्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा इस मामले में अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाकर अनुपात से बाहर उड़ा दिया गया होगा। अभियोक्ता (PW1) और उसके भाई PW11 को इस आसानी से झूठी गवाही देने का कोई मकसद नहीं बताया जा सकता है। उसने पीडब्लू 11 सहित अपने परिवार के सदस्यों को घटना सुनाई और बाद में पीडब्ल्यू 1 की गवाही की भी पुष्टि की। दोनों को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जिरह के अधीन किया गया था, लेकिन लंबी जिरह नाम के लायक कुछ भी प्राप्त करने में विफल रही जो संभवतः उनकी गवाही में कोई सेंध लगा सकती थी।

(चवालीस) विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने सही तर्क दिया कि अभियोक्ता का परिवार, जिसके पास 12 एकड़ जमीन है, से अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर अपीलकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

(पैंतालीस) यहां तक कि पहले का मामला, जिसे अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा अभियोक्ता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें बाद वाले को दोषी ठहराया गया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान मामले को संदिग्ध नहीं बना सकता है। बल्कि वह घटना बलात्कार की घटना की पुष्टि करती है। यदि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित यह घटना नहीं हुई होती, तो अभियोक्ता के भाइयों और पिता ने अपीलकर्ता नंबर 1 को नहीं पीटा होता। 'बलात्कार की घटना 13.08.2006 को सुबह 10:00 बजे हुई थी, जबकि अपीलकर्ता नंबर 1 को अभियोक्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा पीटा गया था, जिसकी घटना 13.08.2006 की शाम को हुई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा सड़क के निर्माण को साबित करने के लिए बचाव में किसी भी सरपंच या खेत से पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसे कथित तौर पर इस मामले के पंजीकरण के मकसद के रूप में वर्णित किया गया है।

(छियालीस) भारतीय अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, किसी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं है। दोषसिद्धि अभियुक्त पर आधारित हो सकती है जैसे बलात्कार की आसानी अकेले अभियोक्ता के बयान पर। अभियोक्ता (पी डब्ल्यू 1) ने पीडब्लू 11 को घटना सुनाई।

(सत्तालीस) PW1 और PW11 के कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ छोटी-मोटी विसंगतियां और विरोधाभास समय बीतने के बाद भी सच्चे गवाहों की गवाही में घटित होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि मानव स्मृति दोषपूर्ण है और समय बीतने के साथ मिटती है।

(अड़तालीस) पीड़िता ने घटना के संबंध में पुलिस के सामने Ex.PA बयान दिया। बाद में, उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत (PW13) के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दिया। PW1 और PW11 के साक्ष्य की पुष्टि Or. Ritu Gupta (PW1I) द्वारा की गई है, जिन्होंने MLR Ex.PN के माध्यम से अभियोक्ता की चिकित्सकीय जांच की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोक्ता के व्यक्ति पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था, लेकिन इसे उसके संस्करण की अस्वीकृति के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पीड़िता पर मेडिकोलीगल परीक्षा घटना के एक महीने बाद आयोजित की गई थी और ऐसा होने के कारण, उसके शरीर के निजी अंगों पर बाहरी चोटें

नहीं पाई जा सकती थीं। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि चोटें लग सकती हैं

ऐसे मामलों में होते हैं। यह सामूहिक बलात्कार का मामला था, आरोपियों की संख्या दो थी जो अभियोक्ता को डरा देते और अपीलकर्ताओं द्वारा एक बंद कमरे में बनाए गए दबाव के आगे वह झुक जाती। उसे सहमति पक्ष माना जा सकता था, अगर वह अपीलकर्ता नंबर 1 के घर गई थी। जैसा कि पहले ही आयोजित किया गया था, उसे अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी द्वारा घर पर बुलाया गया था। अगर वह अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी के घर नहीं जाती तो वह वहां नहीं जाती।

(उन्चास) रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने पहले अपीलकर्ताओं के साथ संभोग किया था, यहां तक कि पीडब्लू 12 ने भी गवाही दी कि उसकी राय में अभियोक्ता के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सबूत को जिरह में नहीं तोड़ा जा सका और इससे अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि बलात्कार अभियोक्ता पर किया गया था।

(पचास) दोनों अपीलकर्ताओं की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें यौन संबंध के प्रदर्शन के लिए फिट पाया गया। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता संभोग करने में असमर्थ थे।

(इकावन) एफआईआर दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामलों में, यह कई कारणों से हो सकता है, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष या परिवार के सदस्यों की पुलिस से संपर्क करने और परिवार के सदस्यों की अनिच्छा जो परिवार और पीड़ित के सम्मान से संबंधित है, के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए, जैसा कि ***पंजाब राज्य*** बनाम ***गुरमीत सिंह (जे)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें, यह आगे कहा गया था कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के साक्ष्य लगभग एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर हैं और एक हद तक और भी अधिक विश्वसनीय हैं-जैसे कि एक गवाह जिसने घटना में कुछ चोट का सामना किया है, जिसे स्वयं प्रवृत्त नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में अच्छा गवाह माना जाता है कि वह वास्तविक अपराधी को बचाने की कम से कम संभावना है, यौन अपराध के शिकार के साक्ष्य महान वजन के हकदार हैं। यह भी माना गया कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है। यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व का विनाशकारी होता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है। एक बलात्कारी असहाय

महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है। अदालत को ऐसे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए।

(एक) 1996(1) आरसीआर (सा.रा.) 533

(बावन) इस मामले में एक महीने की देरी के बारे में, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना को सार्वजनिक किया तो उसे और उसके भाई सोम पाल को मार दिया जाएगा। इसलिए इसी डर के चलते उसने घटना को सीक्रेट रखा और जब उसने इस डर को सुलझा लिया तो उसने रेप की घटना के बारे में पुलिस के सामने खुलासा कर दिया। काला @ ***कल ए काम बनाम हरियाणा राज्य (2) मामले में यह कहा गया है*** कि इस तरह के मामलों में देरी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 17 दिन की देरी हुई थी।

(तिरपन)रोहताश अपीलकर्ता नंबर 1 की नरेश पत्नी पर अपीलकर्ताओं के साथ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रतिवादी की धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि वह घटना के समय मौजूद नहीं थी। बल्कि घटना को टाला जा सकता था, अगर वह घटना के दिन अपने घर में मौजूद होती। जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, यह उसके बुलावे पर है, अभियोक्ता अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए चाय बनाने गई थी, जब अपीलकर्ता नंबर 2 भी घर में मौजूद था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्ता की जन्मतिथि 21-05-1989 निर्धारित की गई है। ऐसा होने के कारण, यह तथ्य कि अभियोक्ता 16 वर्ष से अधिक आयु का था, अपीलकर्ताओं के लिए महत्वहीन है।

(चौवन) ***संतोष मूल्या और अन्य*** बनाम ***कर्नाटक राज्य (3)*** के मामले में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ईआईआर दर्ज करने में 42 दिनों का विलंब मामले के लिए घातक नहीं था। उस मामले में, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फिर भी, अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और यह कहते हुए सजा सुनाई गई कि कोई भी स्वाभिमानी महिला उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर अपने सम्मान को दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए, आमतौर पर उसकी गवाही की पुष्टि के लिए एक नज़र अनावश्यक और अवांछित है।

(पचपन)भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***खरवडा भोगिनभाई गिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (4) के मामले*** में निर्णय दिया कि यौन अपराधों

में चश्मदीद गवाह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इसकी पुष्टि अनिवार्य नहीं है। जब बलात्कार का आरोप किसी महिला/लड़की द्वारा लगाया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोप वास्तविक है।

(दो) 2004(3) आरसीआर (सीआरएल) 420
(तीन) 2010(91)एआईसी 178
(चार) 1983(2) आरसीआर (सीएल) 192

(छप्पन) इसलिए, यह इस प्रकार है कि निचली अदालत के समक्ष प्रतिवादी यह साबित करने में सक्षम था कि अपीलकर्ताओं ने 13.08.2006 को बापोली गांव के क्षेत्र में स्थित अपीलकर्ता नंबर 1 के घर में अभियोक्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के संस्करण को सही ढंग से स्वीकार किया और अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया और अपीलकर्ताओं को आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश के तहत सजा सुनाई, जिसे एतद्द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए।

(सत्तावन) अपीलकर्ताओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए, धारा 376 2 (जी)] पीसी के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा को कम करने के लिए कोई पर्याप्त या विशेष कारण मौजूद नहीं है।

नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

ए ***अग्रवाल***

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा)**